ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ.3(3)(2)रोल / निर्वा / SSR-2019/2018/ 1486 दिनांक : 19-2-2019

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:– लोकसभा आम चुनाव, 2019 – मतदाता सत्यापन और सूचना कार्यक्रम (VVIP) के अन्तर्गत दिनांक 02 व 03 मार्च, 2019 को समस्त मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंग:– विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 13.02.2019 एवं आयोग के पत्र क्रमांक 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018 दिनांक 09 फरवरी, 2019 तथा आयोग के ई–मेल दिनांक 13.02.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 13.02.2019 द्वारा अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2019 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का दिनांक 22.02.2019 को अंतिम रूप से प्रकाशन के पश्चात् किये जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है (प्रति संलग्न)।

2. आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 09.02.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा दिनांक 08.02.2019 को "मतदाता सत्यापन और सूचना कार्यक्रम" (Voter Verification and Information Programme) का शुभारम्भ किया गया है, जो लोकसभा आम चुनाव–2019 की घोषणा तक आयोजित किया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के दौरान निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है –

2.1 कृपया दिनांक 22.02.2019 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 7 दिन तक प्रदर्शित की जाए। इस बाबत् भी राजनैतिक दलों को सूचित किया जाए तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / पर्यवेक्षक / बी.एल.ओ. को पाबंद किया जावे। **(विभाग का पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2019 देखें)**

2.2 जिला निर्वाचन अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजनैतिक दलों एवं मीडिया के साथ आयोजित बैठक में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम जोड़ने / पंजीकरण करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा Voter Verification and Information Programme के अर्न्तगत उपलब्ध करवायी गयी सुविधाऐं यथा NVSP पोर्टल, मोबाईल एप एवं कॉल सेन्टर 1950 के माध्यम से की जाने वाली सुविधाओं के विषय में विस्तार से बताया जावे।

3. आयोग द्वारा मतदाता सत्यापन और सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 02 व 03 मार्च, 2019 को समस्त मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान आयोजित करने के संबंध में निर्देश किये गये है। उक्त विशेष अभियानों में लोकसभा आम चुनाव–2019 से पूर्व अर्हता दिनांक 01.01.2019 को ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका किसी कारणवश मतदाता सूचियों मे पंजीयन नहीं हुआ है अथवा पंजीकृत मतदाता अपनी प्रविष्टियों में संशोधन करवाना चाहता है तो वह आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे।

3.1 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 2 व 3 मार्च, 2019 (शनिवार व रविवार) को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जायेगा। इस अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे के मध्य

www.rajteachers.com

ई-मेल / डाक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ.3(3)(2)रोल / निर्वा / SSR-2019/2018/ 1327 दिनांक : 13-2-2019

प्रेषक :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर), राजस्थान।

विषयः- अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2019 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-मतदाता सूचियों का दिनांक 22.02.2019 को अंतिम प्रकाशन करने बाबत।

प्रसंगः- विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 12534 दिनांक 14 दिसंबर, 2018 एवं आयोग के पत्रांक 23 / LET/ECI/FUNC/ERD/ER/2018-II दिनांक 25.09.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2019 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 22.02.2019 अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा।

2. आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2018 (प्रति संलग्न) द्वारा आयोग के निर्देशानुसार अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का एक सैट (मूल मतदाता सूची, पूरक सूची, सेवा नियोजित मतदाता की मतदाता सूची) हार्डकॉपी मय फोटो के एवं एक साफ्टकॉपी बिना फोटो (Image pdf formet में) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

2.1. चुंकि इस वर्ष लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए संदर्भ तिथि 01.01.2019 के क्रम में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कर पूरक सूची-1 एवं पूरक सूची-2 को सम्मिलित करते हुए आयोग के निर्देश दिनांक 25.09.2018 के अनुसार तैयार मतदाता सूचियों का प्रयोग किया जाऐगा। इसलिए अंतिम प्रकाशन के समय आवश्यकता अनुसार ही मतदाता सूचियों की प्रतियाँ मुद्रित करवायी जावे।

2.2. दिनांक 22 फरवरी, 2019 को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियो के साथ बैठक आयोजित कर इन्हे अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों की सॉफ्ट एंव हार्ड कापी उपलब्ध करवाऐंगे। इसकी सूचना इसी दिनांक को निम्न प्रपत्र में विभाग को ई. मेल के माध्यम से प्रेषित करेंगे।

क्र.सं.	राजनैतिक दल का नाम	राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्ति की दिनांक	
		सोफ्टकॉपी	हार्डकॉपी

www.rajteachers.com

मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर दिनांक 22 फरवरी, 2019 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को प्रदर्शित करेंगे तथा अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अथवा अब तक आवेदन नहीं किया गया है, से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन प्राप्त करेंगे।

3.2 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त है तथा उनके पास दिनांक 22 फरवरी, 2019 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की प्रति एवं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु समुचित संख्या में फॉर्म उपलब्ध है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अभियान की तिथि से पूर्व नोटिस भी लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि आम नागरिकों को इस बारे में जानकारी हो सके।

3.3 जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अभियान के लिए सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी तैयारियां कर ली गयी है तथा सभी बूथ लेवल अधिकारी, पर्यवेक्षकगण, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इसकी जानकारी प्रदान कर दी गयी है।

3.4 जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मुख्यालय पर स्थापित कॉल सेन्टर को भी इस अभियान हेतु विशेष निर्देश प्रदान करे, ताकि कॉल सेन्टर पर आने वाले टेलीफोन कॉल्स के संदर्भ में आम नागरिकों को जानकारी प्रदान की जा सके।

4. दिनांक 02 मार्च (शनिवार) व 03 मार्च, 2019 (रविवार) को समस्त मतदान केन्द्रों पर आयोजित विशेष अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना निम्न प्रपत्र में विभाग को ई–मेल के माध्यम से दिनांक 05 मार्च, 2019 तक प्रेषित करेंगे।

क्र.स.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	प्राप्त आवेदन पत्रो की संख्या						विशेष विवरण
		6	6क	7	8	8क	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुल योग							

5. उक्त अभियान के दौरान प्राप्त समस्त प्रकार के आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रकिया के अनुसार ई.आर.ओ. नेट के माध्यम से निस्तारण की कार्यवाही भी की जावे।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डॉ. रेखा गुप्ता)
अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,जयपुर।

www.rajteachers.com

क्रमांक एफ.3(3)(2)रोल / निर्वा / SSR -2019/2018/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है–

1. समस्त राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
2. समस्त संभागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक), राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (R/I) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,जयपुर।

कार्यालय ERO(SDM) [illegible]
क्रमांक/निर्वा/2019/267 दिनांक 19/2/19
प्रति निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:
- तहसील[illegible] SSR-01.01:2019 [illegible]

दिनांक 01.01.2019 को ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका किसी कारणवश मतदाता सूचियों में पंजीयन नहीं हुआ है अथवा पंजीकृत मतदाता अपनी प्रविष्टियों में संशोधन करवाना चाहता है तो वह आगामी लोकसभा चुनाव–2019 हेतु नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व तक ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूचियों से नाम विलोपन की कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी के सूक्ष्म पर्यवेक्षण में नितांत आवश्यकता होने पर ही की जा सकेगी।

2.4. दिनांक 22 फरवरी, 2019 को ही जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मीडिया/प्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर उपरोक्त पैरा के अनुसार जानकारी प्रदान करेंगें।

2.5. राजनैतिक दलों एवं मीडिया के साथ आयोजित बैठक में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम जोड़ने/पंजीकरण करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा Voter Verification and Information Programme के अर्न्तगत उपलब्ध करवायी गयी सुविधाएँ यथा NVSP पोर्टल, मोबाईल एप एवं कॉल सेन्टर 1950 के माध्यम से की जाने वाली सुविधाओं के विषय में विस्तार से बताया जावे।

3. कृपया दिनांक 22.02.2019 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 7 दिन तक प्रदर्शित की जाए। इस बाबत् भी राजनैतिक दलों को सूचित किया जाए तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पर्यवेक्षक/बी.एल.ओ. को पाबंद किया जावे।

4. अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में दिनांक 22.02.2019 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के बाद निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी। इस अवधि में मे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के विषय में दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किए जा रहे हैं।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,जयपुर।

क्रमांक एफ.3(3)(2)रोल/निर्वा/SSR-2019/2018/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है–

1. समस्त राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
2. समस्त संभागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक), राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (R/J) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,जयपुर।

www.rajteachers.com

No.23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018 Dated: 9th February, 2019

To,

The Chief Electoral Officers
of all States/UTs

Sub: **Campaign on "Voter Verification & Information Programme (VVIP)"-regarding.**

Madam/Sir,

I am directed to refer to the Commission's letter of even number dated 02.01.2019 issuing detailed instructions on running of campaign, namely, Voter Verification & Information programme (VVIP).

2 Voter Verification & Information programme has started with launching of the programme by the Commission on 08.02.2019. The programme shall continue till announcement of impending general election to Lok Sabha, 2019.

3. As already informed, the following channels shall be used for the VVIP programme:-

a. Voter Helpline by calling up 1950
b. 'Voter Helpline' Mobile App (Android)
c. Sending SMS to 1950
d. Through National Voter Service Portal (nvsp.in)

4. Election Commission of India has setup National Contact Centre at New Delhi (1800111950), State Contact Centre and District Contact Centre (by calling 1950). These **Contact Centres** have been established at each of the Districts with adequate telecommunications, ICT infrastructure, professional and training manpower. Any user can take advantage of this contact centres for 4 categories. Information, Feedback, Suggestions and Complaints (IFSC). All calls received at DCC / SCC / NCC will be punched at National Grievances Services Portal (NGSP).

5. The Call centre agent will use NVSP Portal and provisions of ERONET (To be enabled by CDAC Pune shortly) by providing facility of search in Electoral roll, providing information about Polling stations, and assisting in various electoral services. Further, Contact centre will register complaints in the NGSP Portal, provide status of forms status and status of complaints through the portal.

6 **'Voter Helpline' Mobile App** (Android Only) is the second channel and the same has been made available for free download from Google Play Store which allows every user to

www.rajteachers.com